

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 97 सन 2019

अनवान :-

1. मिठूलाल पुत्र अजमेरसिंह जाति जटसिख निवासी मनीर तहसील मानसा।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. काकासिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति जटसिख निवासी मनीर तहसील मानसा

तरतीबी प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 15/3/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 79/75 की कुल 5.7660 हैक्ठु भूमि जिसमें वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है

उक्त भूमि मे वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी दोनो बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे किन्तु सहवन से राजस्व रिकार्ड में मिठूसिंह पुत्र काकासिंह पि0 अजमेरसिंह दर्ज कर दिया जबकि मिठूसिंह व काकासिंह दोनो भाई है अजमेरसिंह दोनो का पिता है लेकिन जमाबन्दी तैयार करते समय काकासिंह को वादी का पिता दर्ज कर दिया जिससे वादी के खातोदारी अधिकारो का हनन होता है

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम काकासिंह पुत्र अजमेरसिंह दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मिठूसिंह वल्द काकासिंह दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर मिठूसिंह पुत्र काकासिंह पि0 अजमेरसिंह के स्थान पर मिठूसिंह काकासिंह पि0 अजमेरसिंह संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 79/75 की कुल 5.7660 हैक्ठु भूमि जिसमें वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है

उक्त भूमि मे वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी दोनो बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे किन्तु सहवन से राजस्व रिकार्ड में मिठूसिंह पुत्र काकासिंह पि0 अजमेरसिंह दर्ज कर दिया जबकि मिठूसिंह व काकासिंह दोनो भाई है अजमेरसिंह दोनो का पिता है लेकिन जमाबन्दी तैयार करते समय काकासिंह को वादी का पिता दर्ज कर दिया जिससे वादी के खातोदारी अधिकारो का हनन होता है

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का



नाम काकासिह पुत्र अजमेरसिह दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मिठुसिह वल्द काकासिह दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी, खाद बीज का ऋण, मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 79/75 की कुल 5.7660 हैक् भूमि जिसमें वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है जिसमें मिठुसिह पुत्र काकासिह पि0 अजमेरसिह दर्ज है

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय मिठसिह काकासिह पि0 अजमेरसिह के स्थान पर मिठुसिह पुत्र काकासिह पि0 अजमेर दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं।

वादी ने अपने कथनों के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2053 / गिरदावरी पेश की गई जिसमें मिठुसिह काकासिह पि0 अजमेरसिह दर्ज है अर्थात् राजस्व रिकार्ड दर्ज करते समय सहवन से गलत दर्ज हुआ है


वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम मिठुसिह पुत्र अजमेर दर्ज है अर्थात् वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 दोनो भाई है वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम मिठुसिह पुत्र अजमेर होना प्रतित होता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नहीं होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र/पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत ए तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 79/75 की कुल 5.7660 हैक् में मिठुसिह वल्द काकासिह पि0 अजमेरसिह के स्थान पर मिठुसिह, काकासिह पि0 अजमेर सिह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्या डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/3/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. मिठूलाल पुत्र अजमेरसिंह जाति जटसिख निवासी मनीर तहसील मानसा।

वादी

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. काकासिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति जटसिख निवासी मनीर तहसील मानसा


तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 97 सन 2019 निर्णय दिनांक- 15/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 79/75 की कुल 5.7660 हैक् में मिठूसिंह वल्द काकासिंह पि0. अजमेरसिंह के स्थान पर मिठूसिंह, काकासिंह पि0 अजमेर सिंह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/3/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)